| क्रम संख्या | दिनांक आदेश का कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 26/6/18 | पत्रावली आज दिनांक को न्याय आपके हाथ रूप वासना में प्रस्तुत हुई। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से सुनवाई की गई। प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार जमवारामगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया कि जमाबन्दी वर्ष 2071-74 हाल में रणसिंह पुत्र रामचन्द्र कम्प्यूटर से ठीक हो गया है। और रणसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण का बेचान मनभरी देवी पत्नि रामनारायण 1/2 कौम रबारी को कर चुका है जिसका नामान्तकरण भी खुल चुका है, अतः वाद को आगे चलाना का कोई औचित्य नहीं है।<br>तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया। पक्षकार द्वारा चाही गई रिलीफ पक्षकार को मिल चुकी है। पक्षकार ने अपना सम्पूर्ण हिस्से का बेचान भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को आगे चलाना का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद शुदा दाखिल रफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 26/6/18 को मजमे आम में खुले आम सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ | |